न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 336/2025

(GCMS: 2025/445)

राज्य सरकार जरिये कविता, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

बनाम

श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरी लाल निवासी वार्ड नं. 9, 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 98284–74521

03.02.2026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सायर कुमार के अधिवक्ता श्री [illegible] व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :**

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 30.10.2025 को करणपुर–पदमपुर मार्ग पर गांव 4 डीडी (डेलवां) में पदमपुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 को संदेह की स्थिति में रूकवाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 में उपस्थित वाहन चालक एवं वाहन स्वामी सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल निवासी वार्ड नं. 9, 53 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 की जांच की गई। मौका जांच उक्त वाहन में 2600 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम व कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनी पायी गयी। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त 12 प्लास्टिक ड्रमों व 9 प्लास्टिक कैनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। मौके पर 12 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 8 प्लास्टिक कैनियों में कुल 2600 लीटर डीजल तथा 01 प्लास्टिक कैनी में कुल 20 लीटर पैट्रोल भरा होना पाया गया। वरवक्त पूछताछ श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल ने प्लास्टिक ड्रमों व प्लास्टिक कैनियों में भरा पैट्रोल व डीजल स्वयं का होना तथा पंजाब के पेट्रोल पंप से पेट्रोल व डीजल सस्ते दाम पर क्रय कर ग्रामीण किसानों को मांग अनुसार विक्रय किया जाना बताया। मौके पर श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। [illegible] पेट्रोल–डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में भण्डारण के कारण [illegible] 2600 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम व कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा पैट्रोल व डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल निवासी वार्ड नं. 9, 53 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03(4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त पिकअप वाहन संख्या 13 जीसी 2662 तथा 2600 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम व 8 प्लास्टिक कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है। उभयपक्ष उक्त जब्तशुदा 2600 लीटर पदार्थ को डीजल होना स्वीकार किया है, इसलिए उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी को मौके पर ही इस बात से अवगत करवाया गया था कि उनके द्वारा उक्त डीजल कलरखेड़ा एचपी, पंजाब से खरीद किया हुआ है, जो अप्रार्थी अकेले द्वारा खरीद किया गया है, जिसका बिल भी अप्रार्थी के नाम से मात्रा 2450 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल मौके पर जिला रसद अधिकारी को दिखाये गये, परन्तु उन द्वारा उक्त बिलों पर ध्यान नहीं दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त डीजल का बिल भी अप्रार्थी के पास मौके पर था, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा ना तो बिल का अवलोकन किया गया और ना ही अप्रार्थी द्वारा इस कथन को माना कि अप्रार्थी द्वारा जो वाहन में डीजल खरीद किया हुआ है वह 2450 लीटर है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उस पर दबाव बनाते हुए 2600 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल होने के कथन पर हस्ताक्षर करवाये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा माप का निर्धारण भी सही रूप से नहीं किया गया है वास्तव में ड्रम की क्षमता 220 लीटर है एवं **सभी ड्रमों में 220 लीटर डी**[illegible] **ही 2640 लीटर डीजल होता है** जबकि कैनियों का कोई माप [illegible] रसद अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद [illegible]िकारी का नापतोल कयास के आधार पर है। जिला रसद अधिकारी को वास्तव का नापतोल उसी समय बिलों के आधार पर 2450 लीटर बताया था एवं पेट्रोल 20 लीटर बताया

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

था। डीजल के ड्रम का स्टेण्डर्ड माप 200 लीटर है, जिसमें अधिकतम 220 लीटर डीजल भरा जा सकता है जिला रसद अधिकारी का नापतोल इस बाद से भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है कि जब **अप्रार्थी के पास 12 ड्रम उपलब्ध है एवं 12 ड्रमों में ही 2640 लीटर डीजल परिवहन किया जा सकता है तो ड्रमें में कम कम डीजल डलकर 8 कैनियों में डीजल लाने का कोई औचित्य हीं नही है** परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा यह जानते हुए कि 2500 लीटर डीजल के परिवहन की छूट है इसलिए जानबूझकर डीजल को 2600 लीटर होना अंकित किया है, जबकि उक्त डीजल की आज भी मौका पर नापा जाने पर 2450 लीटर ही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी को यह भी अवगत करवाया गया कि 20 लीटर पेट्रोल नहीं है बल्कि वह डीजल ही है। यदि पेट्रोल है तब भी 30 लीटर पेट्रोल परिवहन की छूट हैं इस प्रकार सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ वाहन में 2470 लीटर है, जो नियमानुसार 2500 लीटर से कम है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई है जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके पर सीज करते समय ना तो अप्रार्थी को सीजर प्रति दी गई है ना ही सैम्पलिंग की एक बोतल दी गई है, ना ही ड्रमों व कैनियों को सील मोहर किया गया है जिससे उसके संदेहपूर्ण होने की शंका बनी हुई है। इस सम्बन्ध में इस्तगासे में भी कोई वर्णन नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय व भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल को परिवहन करने में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया है। अप्रार्थी पेशे से किसान है एवं अप्रार्थी संयुक्त परिवार से है। अप्रार्थी के पिता, पत्नी व स्वयं द्वारा कृषि भूमि ठेके पर लेकर काश्त की जाती है, जिसके लिये हर समय डीजल की आवश्यकता रहती है, इसलिए अप्रार्थी नियमानुसार 2500 लीटर से कम डीजल परिवहन कर लाया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी की खेती [illegible] ट्यूबवेल के लिए डीजल की हर समय आवश्यकता रहती है एवं पंजाब में [illegible]ल सस्ता होने के कारण अप्रार्थी पंजाब से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए डीजल खरीदकर लाया था, उसके द्वारा किसी प्रकार के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

गया है। इसलिए प्रार्थी के वाहन आरजे 13 जीसी 2662 व उसमें भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ 2470 लीटर को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी ने कथन किया कि अप्रार्थी ने मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये थे और अप्रार्थी मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के **प्रावधानों को विफल करने हेतु After Thought बिल प्रस्तुत किये गये है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा सतपाल चन्द से ही 2600 डीजल जब्त किया गया था और अब अप्रार्थी के अधिवक्ता अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु जब्तशुदा डीजल को कम बता रहे है और अप्रार्थी 20 लीटर पेट्रोल को भी जानबूझकर डीजल बता रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी पंजाब से लाना और 12 ड्रमों में 2640 डीजल हो सकता है, का कथन किया है कि जबकि अप्रार्थी से जब्ती के वक्त 12 प्लास्टिक ड्रमों व 08 प्लास्टिक कैनियों में 2600 लीटर जब्त किया गया है इससे पता चलता है कि अप्रार्थी पंजाब से 2600 लीटर डीजल से अधिक डीजल लाये थे, जो उनके द्वारा जब्ती से पूर्व बेचान किया जाना प्रतीत होता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी जानबूझकर जब्तशुदा डीजल को 2450 लीटर होना बता रहे है, जबकि उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा डीजल का अंतरिम निस्तारण किया गया है यदि उक्त जब्तशुदा डीजल की मात्रा 2600 लीटर ही है, इसलिए उनके द्वारा 2600 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोल की राशि राजकोष में जमा करवाई गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर अप्रार्थी सतपाल चंद ने वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 मय 2600 डीजल स्वयं का होना बताया था परन्तु अप्रार्थी अब उक्त जब्तशुदा वाहन किसी जयपाल के व्यक्ति का होना बताया है और उसी के नाम से आरसी भी प्रस्तुत की है, इ[illegible] है कि अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधा[illegible] सुविधानुसार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहे है, जो किसी प्रकार से उचित नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब्ती के समय डीजल अप्रार्थी सतपाल चन्द ने स्वयं का होना स्वीकार कर, फर्द मौक मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे, अब अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नये तर्क पेश किये है। जिससे **स्पष्ट है** कि अप्रार्थी डीजल **का** विक्रय के कार्य **में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन व डीजल को राजसात किया जावे।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पेशे से कृषक है तो उसके द्वारा जांच के वक्त या उसके पश्चात ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही बहस के सम**य अप्रार्थी सतपाल चंद ने स्वयं/परिवार का कृषक होने का दस्तावेज पेश** किया है ,जिससे पता चले अप्रार्थी पेशे से कृषक है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने अपनी बहस में अप्रार्थी एवं उनके परिवार का ठेके पर काश्त करना बताया है परन्तु इसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अप्रार्थी/उनका परिवार यदि ठेके पर काश्त करते तो वे काश्ता सम्बन्धित दस्तावेज आवश्यक रूप से पेश करते, परन्तु अप्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह पता चले कि अप्रार्थी अपने कृषि कार्य के लिए उक्त डीजल परिवहन कर रहा था। इसलिए अप्रार्थी से जब्त किये गये वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 मय 2600 लीटर डीजल को राजसात किया जावे।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 30.10.2025 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन स्टाफ करणपुर–पदमपुर मार्ग पर गांव 4 डीडी (डेलवां) में पदमपुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 को संदेह की स्थिति में रूकवाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 में उपस्थित वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल निवासी वार्ड नं. 9, 53 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया तथा **स्वयं को उक्त वाहन का स्वामी होना बताया।** वरवक्त मौका श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल की उपस्थिति में वाहन संख्या [illegible] जीसी 2662 की जांच की गई। मौका जांब उक्त [illegible] ड्रम तथा 8 प्लास्टिक कैनियां भरी पायी गयी। [illegible] बाले केबिन में भी 01 प्लास्टिक कैनी भरी पायी गयी। मौके पर जांच व[illegible]ीक सत्यापन करने पर उक्त 12 प्लास्टिक ड्रमों व 9 प्लास्टिक कैनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। मौके पर 12 बड़े प्लास्टिक ड्रमों व 8 प्लास्टिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कैनियों में कुल 2600 लीटर डीजल तथा 01 प्लास्टिक कैनी में कुल 20 लीटर पैट्रोल भरा होना पाया गया। वरवक्त पूछताछ श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल ने प्लास्टिक ड्रमों व प्लास्टिक कैनियों में भरा पैट्रोल व डीजल स्वयं का होना स्वीकार किया। पूछताछ पर श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पंप से पेट्रोल व डीजल सस्ते दाम पर क्रय कर ग्रामीण किसानों को मांग अनुसार विक्रय किया जाता है। मौके पर श्री सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर पैट्रोल–डीजल के अवैध रूप से अधिक मात्रा में भण्डारण के कारण जरिये फर्द जब्ती समस्त 2600 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम व कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 को जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा पैट्रोल व डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गयी। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार सतपाल चंद पुत्र श्री कस्तूरीलाल निवासी वार्ड नं. 9, 53 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त पिकअप वाहन संख्या 13 जीसी 2662 तथा 2600 लीटर डीजल मय 12 प्लास्टिक ड्रम व 8 प्लास्टिक कैनी तथा 20 लीटर पैट्रोल मय 01 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है, इसलिए उक्त 2005 एवं [illegible] आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी सतपाल चन्द पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> ''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''

अप्रार्थी सतपाल चंद पुत्र कस्तूरी लाल से वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 2662 मय 2600 लीटर डीजल, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4)(6), 04** का उल्लंघन किया है।

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provesion of ths order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer or oil c[illegible] any [illegible] be engaged in the business of selling produ[illegible]**
>
> 3(6) **No dealer, transporter, [illegible]on shall indulge in any manner in any one or [illegible]re of the malpractice.**
>
> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(2) उपरोक्त **सभी** पेट्रोलियम पदार्थों के **भण्डारण** हेतु **विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब / बहस में उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–2662 एवं 2600 लीटर डीजल जब्त होने से इंकार नहीं किया है बल्कि उक्त पंजाब पैट्रोल पम्प द्वारा एक साथ 2450 लीटर डीजल लाना स्वीकार किया है। अप्रार्थी ने अपनी बहस / जवाब में स्वयं ने कथन किया है कि **जब्तशुदा 12 ड्रमों में की 2640 लीटर डीजल आ सकता** है जबकि अप्रार्थी के पास 12 बड़े प्लास्टिक ड्रमों तथा 8 प्लास्टिक कैनियों में 2600 लीटर डीजल एवं 01 प्लास्टिक कैनी में 20 लीटर पेट्रोल श्रीकरणपुर–पदमपुर रोड़ पर गांव 4 डीडी (डेलवां) में पदमपुर की ओर से आ रहे वाहन से जब्त किया गया था जबकि अप्रार्थी स्वयं ने उक्त जब्ताशुदा डीजल / पेट्रोल पंजाब से लाना स्वीकार किया है इससे तात्पर्य यह है कि अप्रार्थी ने जब्ती से पूर्व उक्त डीजल में कुछ डीजल रास्ते में विक्रय किया है, अन्यथा अप्रार्थी खाली ड्रम / कैनी अपने साथ नहीं लाते। **इसप्रकार अप्रार्थी ने न्यायालय में स्वच्छ** हाथों **से उपस्थित** नहीं हुआ है **और मात्र आवश्यक** वस्तु **अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने** हेतु जानबूझकर झूठे **बिल** एवं **न्यायालय को भ्रम करने के कारण पेश किये गये** है, **क्योंकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल 2450 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोल के है और जबकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 2600 लीटर एवं 20 लीटर पेट्रोल विक्रय कर, राशि राजकोष में जमा करवाई** [illegible]

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द [illegible] चंद से 2600 लीटर डीजल जब्त किया गया है और उसके पास उक्त [illegible]शुदा डीजल **के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र / दस्तावेज नही है** जिसके आध[illegible]र डीजल को अपने कब्जे में रख सके और परिवहन कर सके। **अप्रार्थी सतपाल चंद पुत्र**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कस्तूरी लाल का इतनी बडी मात्रा में डीजल को क्रय करके, परिवहन करना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आपूर्ति, अनावश्यक भंडारण एवं कालबाजारी पर रोक लगाना है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल / पेट्रोल व पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–2662 राजसात किये जाने योग्य है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04 का उल्लंघन करने के कारण, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13/ जीसी–2662 व 2600 लीटर डीजल मय 12 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 8 प्लास्टिक कैनी एवं 01 प्लास्टिक कैनी में 20 लीटर पेट्रोल को राजसात करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6क के परन्तुक के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एसबी क्रिमिनल पैटीशन संख्या 1405 / 2022 अनवान् नीतू सोनी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.05.2023, माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश संख्या 01, श्रीगंगानगर की दाण्डिक अपील संख्या 12 / 2022, अनवान् कृष्ण कु[illegible] बनाम [illegible]ट निर्णय दिनांक 10.07.2023 एवं अपील संख्या [illegible] बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर, निर्णय दिनांक 25.08.2022 एवं में भी ऐसा ही मत दिया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> 6क. आवश्यक वस्तुओं का अधिहरण–
>
> ....
>
> [परन्तुक यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।]

चुंकि उक्त वाहन संख्या आरजे 13/ जीसी–2662 का अनुमानित बाजार भाव 7.45/– लाख रूपये है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के परन्तु एवं उक्त न्यायिक दृष्टातों के अनुसार वाहन पर 7,00,000/– रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छिजत होने की संभावना होती है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 2600 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2600 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्यवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्यवाई [illegible]ग है। 6ए की कार्यवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता [illegible] [illegible] अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्यवाई करने के लिए [illegible]ग ही सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अनुसार [illegible]जल कीमत पर 26 प्रतिशत की दर से वैट, 30 प्रतिशत की दर से शास्ति एवं 1.75/– रूपये

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 336 / 2025
सरकार बनाम सतपाल चंद
(GCMS No. 2025/445)

प्रति लीटर सैस देय बनता है। चूंकि उक्त प्रकरण में 2600 लीटर डीजल, 20 लीटर पेट्रोल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13–जीसी–2662 राजसात करने के आदेश दिये गये है और वाहन पर 7,00,000/– रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। वैट अधिनियम के तहत कार्रवाई करने एवं वैट वसूली करने के लिए सम्बन्धित विभाग स्वयं सक्षम है अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें। वैट अधिनियम की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। जिला रसद अधिकारी एवं वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर आपस मे समन्वय रखें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:41 IST
Reason: SelfAttested